फा.संख्या 37-1/2014-15/ सा. प्र

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय)
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली – 110016

दिनांकः 31.08.2023

परिपत्र

पूर्व कार्यालय आदेश न. 394/2018-19/ नीपा दिनांक नवम्बर 22, 2018 के अनुसार यह देखा गया है कि कार्यालय समय के दौरान वर्दी पहनने के लिए आवश्यक हकदार कर्मचारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 19051/1/1/2017-ईवी दिनांक 02.08.2017 का प्रावधान है कि पात्र कर्मचारियों को वर्दी भत्ते के रूप मे रुपये 5,000/- प्रति वर्ष का भुगतान किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी ने सलाह दी है कि सभी पात्र कर्मचारी परिसर में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए निर्धारित वर्दी पहनेंगे।

1. पुरुष कर्मचारी गहरा नीला (Navy Blue) पैंट और हल्की नीली कमीज और औपचारिक जूते पहनेंगे।
2. महिला कर्मचारी नीले रंग की साड़ी या स्लेटी सलवार तथा हलके नीले रंग की कमीज और औपचारिक जूते पहनेंगी।

इसलिए, सभी पात्र कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निर्धारित वर्दी पहनने के लिए निर्देशित किया जाता है। गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सभी एमटीएस, ड्राइवरों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त निर्देशों का पालन करें और कार्यालय परिसर में उचित मर्यादा बनाए रखें।

इसके अलावा, यह देखा गया है कि हकदार कर्मचारियों ने जून से अगस्त 2023 के दौरान निर्देशित पोशाक नहीं पहनी है, इसलिए, इस अवधि के लिए भत्ते का भुगतान किसी भी हकदार कर्मचारी को नहीं किया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी होता है

डी.एस. ठाकुर
31.8.2023
(डी.एस. ठाकुर)
प्रशासनिक अधिकारी(प्रभारी)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति महोदया के वरिष्ठ निजी सचिव- सूचनार्थ
2. कुलसचिव महोदय के निजी सहायक- सूचनार्थ
3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)
4. वित्त अधिकारी
5. सभी सूचना पट्ट